न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, टोंक (राज.)

सल संख्या :– 220/2022 निर्णय दिनांक :– 14/6/2022

उनवानी प्रार्थना पत्र :–

केसरा पुत्र बरदा जाति मीना उम्र बालिग निवासी मुँडयाखुर्द तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)

–प्रार्थी पक्ष–

बनाम

तहसीलदार महोदय देवली जिला–टोंक (राज.)

–अप्रार्थी पक्ष–

उपस्थित :–
श्री राजेश जैन
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार
देवली

प्रार्थना–पत्र पत्थरगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार आराजी **खाता संख्या 59 ख0नं0 1119 रकबा 0.43 है0, ख0नं0 1122 रकबा 0.42 है0** वाके ग्राम मुँडयाखुद पटवार हल्का पोल्याडा तहसील देवली जिला–टोंक, प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है व पडोसी खातेदारो से सीमा विवाद है परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार सीमा विवाद नहीं है।

अतः जमाबंदी सम्वत् **2072–2075** में दर्ज आराजी **खाता संख्या 59 ख0नं0 1119 रकबा 0.43 है0, ख0नं0 1122 रकबा 0.42 है0** वाके ग्राम मुँडयाखुद पटवार हल्का पोल्याडा तहसील देवली जिला–टोंक की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/– निर्धारित की जाकर एतत्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with CamScanner

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ____________ मुकाम ____________

केसरा बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा 128 LR Act नं. 220 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
16/5/2021	अधिवक्ता वादी/प्रार्थी द्वारा पेश प्रकरण दर्ज रजि. किया जाकर प्रतिवादी/अप्रार्थी पक्ष को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 14/6/2021 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी, देवली	
14/6/2021	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त। अधिवक्ता प्रार्थी ने तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन कर बहस सुनाई व प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की । पत्रावली व तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)	

Scanned with CamScanner